"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2004—ज्येष्ठ 14, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. (1993), संयुक्त सचिव के वर्तमान प्रभार में परिवर्तन करते हुए उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी. पदस्थ किया जाता है. साथ ही वे संचालक, संस्थागत वित्त तथा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, 12वां वित्त आयोग का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक बी-1-5/2004/4/एक.—श्री अनिल टुटेजा (आर.आर.-89 रा.प्र.से.-प्रवर श्रेणी) उप-सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग तथा संचालक, विमानन, छत्तीसगढ़ को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, (काडा) रायपुर एवं उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग भी पदस्थ किया जाता है.

2. उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण करने पर श्री टुटेजा, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक 362/2004/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 247/04/1-8, दिनांक 16 अप्रैल, 2004 द्वारा श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव, छ. ग. शासन, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 8-3-2004 से 12-3-2004 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. उक्त अवकाश के अनुक्रम में श्री बेले को स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में दिनांक 19-3-2004 तक की वृद्धि स्वीकृत की जाती है.

2. शर्तें आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2004 के अनुसार यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक 426/2004/1-8/स्था.—डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग को दिनांक 12-5-2004 से 20-5-2004 तक 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी को संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. सुरेन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक 428/2004/1-8/स्था.—श्री एस. के. विश्वकर्मा, अवर सचिव, छ. ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 5-5-2004 से 14-5-2004 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15 एवं 16 मई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. विश्वकर्मा, अवर सचिव को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. विश्वकर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक 430/2004/1-8/स्था.—श्री सी. के. देवाणी, अवर सचिव, छ. ग. शासन, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 31-3-2004 से 1-5-2004 तक 32 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 2 मई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सी. के. देवाणी, अवर सचिव को आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. के. देवाणी, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक 432/2004/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छ. ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 10-5-2004 से 14-5-2004 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15 एवं 16 मई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव को ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2004

क्रमांक 1204/746/2004/सांप्रवि/1/2/लीव.—श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 17-6-2004 से 26-6-2004 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 27-6-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री डी. के. श्रीवास्तव के अवकाश अवधि में श्री शांतनु, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर जगदलपुर अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, बस्तर का चालू कार्य संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2004

क्रमांक 313/डी-15/74/2004/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचित कृषि उपज लाख, जो राज्य के भीतर से किसी मंडी क्षेत्र में लायी गई हो, के विक्रय या प्रसंस्करण पर मंडी शुल्क के भुगतान से 18-10-2003 से एक वर्ष की कालावधि के लिए निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट देती है :—

''जब छत्तीसगढ़ में अवस्थित किसी लघु उद्योग इकाई या ग्रामोद्योग इकाई द्वारा क्रय किया जाना है और उद्योग और ग्रामोद्योग विभाग से यथास्थिति, लघु उद्योग इकाई या ग्रामोद्योग इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाता है, तो संबंधित मण्डी में उसे प्रस्तुत करना होगा.''

Raipur, the 13th May 2004

No. 313/D-15/74/2004/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, exempt the payment of market fees for the period of one year from the 18-10-2003 on the sale or processing of notified agricultural produce lakh brought from within the state into the market area in the state subject to the following condition :—

"When the purchase is made by any small scale industry or village industry located in Chhattigarh, a Registration Certificate as small scale industry unit or village industry unit from the Industry or Village Industry Department as the case may be is to be produced in the concern Mandi."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. दवे, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक एफ-15-138/2002/नौ/17.—फार्मेसी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल में निम्नानुसार पांच सदस्यों को नामनिर्देशित करता है :—

(1) सुश्री मनीषा खटवानी,
पंजीयन क्र.-404,
मेसर्स गोविंद मेडिकल स्टोर्स,
कोतवाली चौक, रायपुर. — सदस्य

(2) श्री प्रभात बी. साहू,
पंजीयन क्र.-267,
सिटी कोतवाली के सामने, बिलासपुर. — सदस्य

(3) श्री अमित कुमार हरिरामानी,
पंजीयन क्र. 156,
सिंधी पंचायत भवन के पास,
तिल्दा कैम्प, जिला रायपुर. — सदस्य

(4) श्री राघवेन्द्र चन्द्राकर,
मेसर्स सावित्री मेडिकल स्टोर्स,
टिकरापारा, रायपुर. — सदस्य

(5) श्री जितेन्द्र नाहर,
डी-311, टैगोर नगर, रायपुर. — सदस्य

2. उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के परंतुक के प्रावधान के अंतर्गत श्री भरत बजाज, मेसर्स मेडिसेल्स, निकिता काम्पलेक्स के सामने, भनपुरी, रायपुर को छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल का अध्यक्ष नामनिर्देशित किया जाता है. वे उक्त कौंसिल के सदस्य भी रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक एफ-15-138/2002/नौ/17.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अभिसूचना दिनांक 19 मई, 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, उप-सचिव.

Raipur, the 19th May 2004

No. F-15-138/2002/IX/17.—In exercise of the powers, conferred by clause (b) of Section 19 of the Pharmacy Act, 1948 (No. 8 of 1948), the State Government, hereby nominates the following five members to the Chhattisgarh Pharmacy Council :—

(1)	Ms. Manisha Khatwani Registration No. 404, Messers Govind Medical Stores, Kotwali Chowk, Raipur.	Member
(2)	Shri Prabhat B. Sahu Registration No. 267, Opposite City Kotwali, Bilaspur.	Member
(3)	Shri Amit Kumar Hariramani Registration No. 156, Near Sindhi Panchayat Bhawan, Tilda Camp, Distt. Raipur.	Member
(4)	Shri Raghvendra Chandrakar Messers Savitri Medical Stores, Tikrapara, Raipur.	Member
(5)	Shri Jitendra Nahar D-311, Taigore Nagar, Raipur.	Member

2. By virtue of proviso to sub-section (1) of Section 23 of the said Act, Shri Bharat Bajaj, Messers Medisales, Opposite Nikita Complex, Bhanpuri, Raipur is, hereby, nominated as President of Chhattisgarh Pharmacy Council. He shall also be a member of the said Council.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BRAJESH CHANDRA MISHRA, Deputy Secretary.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2003

क्रमांक 10-3/03/9.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निम्नलिखित पुरस्कारों की घोषणा करते हुए नियम बनाता है.

1. **संक्षिप्त नाम—**
ये नियम "खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार" नियम 2004 कहलाएँगे. जिसके अंतर्गत निम्नांकित पुरस्कार दिए जाएंगे.

1.1 शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार
1.2 शहीद कौशल यादव पुरस्कार
1.3 स्व. हनुमान सिंह पुरस्कार

2. **परिभाषाएं—**

2.1	राज्य से तात्पर्य	-	छत्तीसगढ़ राज्य से है.
2.2	शासन से तात्पर्य	-	छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से है.
2.3	विभाग से तात्पर्य	-	खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय से है.
2.4	संचालनालय से तात्पर्य	-	संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण से है.
2.5	अन्तर्राष्ट्रीय खेल महासंघ से तात्पर्य	-	एशियाई या विश्व स्तर से खेल महासंघ से है जो अपने कार्य क्षेत्र में संबंधित खेल की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु सक्षम संस्था द्वारा अधिकृत किया गया है तथा राष्ट्रीय खेल संघ उसकी संलग्नता प्राप्त इकाई हो.
2.6	राष्ट्रीय खेल संघ से तात्पर्य	-	राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल का आयोजन करने हेतु भारतीय ओलम्पिक संघ या युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है.
2.7	राज्य खेल संघ से तात्पर्य	-	राष्ट्रीय खेल संघ की राज्य इकाई से है.
2.8	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से तात्पर्य	-	ओलम्पिक, एशियाड, विश्व चैम्पियनशिप, विश्वकप एशियन चैम्पियनशिप, अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच (टेस्ट, एक दिवसीय) एवं ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें भारतीय दल के भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
2.9	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य	-	राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राष्ट्रीय विजेता कहलाता है.
2.10	राज्य चैम्पियनशिप से तात्पर्य	-	राज्य खेल संघ द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर, पर राज्य विजेता कहलाता है.
2.11	पुरस्कार वर्ष से तात्पर्य	-	उस वर्ष से है जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की अनुशंसा की गई है.
2.12	उपलब्धि वर्ष से तात्पर्य	-	संबंधित की उपलब्धियां प्राप्त करने के उन वर्षों से हैं जो किसी पुरस्कार विशेष के लिए निर्णय हेतु नियमानुसार विचार के लिए जाएंगे.
2.13	सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता से तात्पर्य	-	उस प्रतियोगिता से है जिसमें भाग लेने हेतु आयु संबंधी किसी प्रकार की शर्तें न हो.
2.14	जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता से तात्पर्य	-	राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अपने खेल के लिए जूनियर वर्ग (कनिष्ठ) हेतु घोषित आयु सीमा के खिलाड़ियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता से है.

2.15	प्रशिक्षक से तात्पर्य	-	ऐसे व्यक्ति से है जो किसी खेल के नियमित अभ्यास केन्द्र में नियमित रूप से खिलाड़ियों को संबंधित खेल का प्रशिक्षण प्रदान करता है. इसके लिए उसके पास राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान से, पत्रोपाधि होना या प्रशिक्षक पदनाम से किसी संस्थान में सेवारत होना आवश्यक नहीं होगा.
2.16	निर्णायक से तात्पर्य	-	किसी खेल के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ से अन्तर्राष्ट्रीय निर्णायक का प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्ति से है.
2.17	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश से तात्पर्य	-	राज्य खेल संघ के दृष्टिकोण से अविभाजित मध्यप्रदेश से है.

3. पुरस्कार से संबंधित खेल—

यह पुरस्कार इस नियम में उल्लेखित पात्रता रखने वाले ऐसे खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों को दिए जा सकेंगे जो निम्नलिखित खेल में से किसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे.

3.1 ऐसे खेल जो ओलम्पिक में सम्मिलित किए गए हैं.

3.2 ऐसे खेल जो राष्ट्रमण्डलीय खेल में सम्मिलित किए गए हैं.

3.3 ऐसे खेल जो एशियाड में सम्मिलित किए गए हैं.

3.4 ऐसे खेल जो राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित किए गए हैं.

3.5 उपरोक्त में सम्मिलित ऐसे खेलों को ही विचार में लिया जाएगा जिन पर प्राप्त होने वाला पदक संबंधित आयोजन की पदक तालिका में क्रम निर्धारण हेतु सम्मिलित किया जाता है.

3.6 ऐसे खेल जिन्हें अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ द्वारा विश्वविद्यालयीन खेलों में सम्मिलित किया गया है.

3.7 ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले खेल पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र में लिया जाता है.

4. उद्देश्य—

4.1 **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार—**

राज्य के "सीनियर" वर्ग के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करना ताकि समाज में उन्हें और अधिक सम्मान एवं महत्व प्राप्त हो सके तथा राज्य के अन्य खिलाड़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें.

4.2 **शहीद कौशल यादव पुरस्कार—**

राज्य के जूनियर वर्ग के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में किए गए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुनः दोहराने एवं सीनियर वर्ग में भी सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करना.

4.3 **स्व. हनुमान सिंह पुरस्कार—**

राज्य के खेल प्रशिक्षकों को, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी तैयार किए हैं, या राज्य के खेल निर्णायकों को जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतिस्पर्धाओं में निर्णयन कार्य सम्पन्न कर राज्य एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करना ताकि समाज में उन्हें और अधिक सम्मान एवं महत्व प्राप्त हो सके तथा राज्य में खेल संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन मिल सके.

5. पुरस्कार—

5.1 **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार—**

अ. प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा.

ब. एक वर्ष में एक खेल में केवल एक पुरस्कार ही दिया जाएगा.

स. पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रुपए दो लाख पच्चीस हजार नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

5.2 **शहीद कौशल यादव पुरस्कार—**

अ. प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा.

ब. एक वर्ष में एक खेल में केवल एक पुरस्कार ही दिया जायेगा.

स. पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रु. एक लाख नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जायेगा.

5.3 **स्वर्गीय हनुमान सिंह पुरस्कार—**

अ. प्रत्येक वर्ष केवल एक प्रशिक्षक या निर्णायक को प्रदान किया जाएगा.

ब. पुरस्कारग्राही को राशि रु. दो लाख नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जायेगा.

5.4 उपरोक्त तीनों प्रकार के पुरस्कारग्राहियों को उनके निवास स्थल से समारोह स्थल तक दोनों ओर का, न्यूनतम दूरी का वास्तविक रेल/बस किराया तथा रुपये एक सौ प्रतिदिन के मान से दैनिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.

5.5 पुरस्कारग्राहियों के लिए आवास, भोजन एवं परिवहन व्यवस्था की जाएगी.

6. पात्रता—

6.1 **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार**

6.1 (अ) खिलाड़ी ने राज्य खेल संघ के माध्यम से अपना पंजीयन संचालनालय में करा लिया हो.

(ब) खिलाड़ी ने विगत पांच वर्षों में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हों.
व्याख्या—विगत पांच वर्षों की गणना पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए की जाएगी.

1. सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में कम से कम एक बार स्वर्ण पदक या रजत पदक या कॉस्य पदक प्राप्त किया हो.

या

दलीय खेलों में सीनियर वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या—व्यक्तिगत खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रथम या द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

2. उसने पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व किया हो.

3. उसने पुरस्कार वर्ष के अतिरिक्त अन्य विचारणीये वर्षों में कम से कम दो बार राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो. इस प्रकार उसने कम से कम तीन बार पृथक-पृथक वर्षों में उपरोक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लिया हो.

(स) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिनकी उपरोक्त उपलब्धि पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त हुई है वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे-यदि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु उनका चयन संबंधित खेल के मध्यप्रदेश राज्य संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में कार्यरत इकाई के माध्यम से हुआ हो.

(द) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश की ओर से खेलते हुए म. प्र. शासन द्वारा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वे खिलाड़ी इस पुरस्कार के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से खेलते हुए उपरोक्तानुसार, पदक प्राप्त किया हो या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो साथ ही राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए तीन बार छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो.

(इ) अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी.

6.2 शहीद कौशल यादव पुरस्कार

(अ) खिलाड़ी ने राज्य खेल संघ के माध्यम से अपना पंजीयन संचालनालय में करा लिया हो.

(ब) खिलाड़ी ने विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हों.

व्याख्या—विगत तीन वर्षों की गणना पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए की जाएगी. दलीय खेलों के संदर्भ में दल की उपलब्धियां संबंधित खिलाड़ी की उपलब्धियां मानी जाएंगी.

1. जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कम से कम एक बार स्वर्ण पदक या रजत पदक या कॉस्य पदक प्राप्त किया हो.

या

दलीय खेलों में जूनियर वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या—व्यक्तिगत खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रथम या द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

2. उसने पुरस्कार वर्ष में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (जूनियर या सीनियर वर्ग) या राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो.

(स) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिनकी उपरोक्त उपलब्धि पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त हुई है, वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे यदि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु उनका चयन संबंधित खेल के मध्यप्रदेश राज्य संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में कार्यरत इकाई के माध्यम से हुआ हो.

(द) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश की ओर से खेलते हुए म. प्र. शासन द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वे खिलाड़ी इस पुरस्कार के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से खेलते हुए उपरोक्तानुसार पात्रता अर्जित की हो.

(इ) अर्जुन पुरस्कार एवं शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी.

6.3 स्वर्गीय हनुमान सिंह पुरस्कार

(अ) प्रशिक्षक एवं निर्णायक ने स्वयं या राज्य खेल संघ के माध्यम से अपना पंजीयन संचालनालय में करा लिया हो.

(ब) प्रशिक्षक को पुरस्कार के लिए चयनित करने हेतु निम्नांकित नियम होंगे—

1. प्रशिक्षक द्वारा कम से कम विगत पांच वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य सीमा में प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा हो.

2. प्रशिक्षक की कम से कम पांच एवं अधिक से अधिक दस वर्षों की उपलब्धियों का आँकलन किया जाएगा.

3. व्यक्तिगत खेलों के संदर्भ में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित, राज्य के खिलाड़ियों ने विगत दस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पांच पदक प्राप्त किए हों.

या

प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित, राज्य के कम से कम तीन खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या—उपरोक्त उपलब्धियों में सीनियर एवं जूनियर दोनों वर्गों की उपलब्धियां सम्मिलित की जाएंगी.

- पांच पदकों की गणना में कम से कम एक पदक सीनियर वर्ग में होना चाहिए.
- स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक को इस नियम के अंतर्गत पदक माना जाएगा.
- पांच पदकों की उपलब्धियां कम से कम तीन पृथक-पृथक खिलाड़ियों द्वारा या कम से कम तीन पृथक-पृथक वर्षों में प्राप्त की गई हो. (दलीय खेलों के संदर्भ में यह बिन्दु लागू नहीं होगा).

4. दलीय खेलों के संदर्भ में विगत दस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पांच पृथक-पृथक बार पदक जीतने वाले दलों में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक दल में कम से 40 प्रतिशत हो.

या

प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित, कम से कम सात खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

(**व्याख्या**—नियम 6.3, ब-3 की व्याख्या के अनुसार)

5. राज्य के ऐसे प्रशिक्षक जिनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों की उपलब्धि पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त हुई है, वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे. यदि उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों का चयन संबंधित खेल के मध्यप्रदेश राज्य संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में कार्यरत इकाई के माध्यम से हुआ है.

6. राज्य के ऐसे प्रशिक्षक जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वे इस पुरस्कार के लिए तभी पात्र होंगे जब छत्तीसगढ़ की ओर से खेलते हुए उसके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने उपरोक्तानुसार उपलब्धियां प्राप्त की हों तथा प्रशिक्षक ने छत्तीसगढ़ की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों को विगत पांच वर्षों में निरंतर प्रशिक्षण प्रदान किया हो.

7. ऐसे प्रशिक्षक जो उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में संबंधित राज्य खेल संघ के पदाधिकारी (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष) रहे हों वे इस पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे.

(स) निर्णायकों के लिए निम्नलिखित नियम होंगे—

1. निर्णायक ने राज्य खेल संघ के माध्यम से या स्वयं आवेदन प्रस्तुत कर अपना पंजीयन संचालनालय में करा लिया हो.

2. उसे विदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता ओलम्पिक, राष्ट्रमण्डलीय खेल, एशियाड, विश्व चैम्पियनशिप, विश्वकप में कम से कम एक बार आयोजन समिति या संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा विशेष रूप से निर्णयन कार्य के लिए आमंत्रित किया गया हो एवं संबंधित ने वहां निर्णयन कार्य सम्पन्न किया हो.

या

उसने आयोजन समिति या संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा निर्णयन कार्य हेतु आमंत्रित किए जाने पर तीन पृथक-पृथक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में तीन बार निर्णयन कार्य सम्पन्न किया हो.

6.4 उपरोक्त पुरस्कारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक/भागीदारी के आधार पर दावेदारी तभी प्रस्तुत की जा सकेगी जब संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु संबंधित का यात्रा व्यय केन्द्र सरकार/प्रतियोगिता के आयोजक/संबंधित राष्ट्रीय या राज्य खेल संघ द्वारा वहन किया गया हो. स्वयं के यात्रा व्यय या राज्य शासन के कोष से किसी भी प्रकार से यात्रा व्यय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक इन पुरस्कारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक/भागीदारी को आधार बनाकर पात्र नहीं हो सकेंगे.

7. **प्राथमिकता क्रम—**

पुरस्कारों के निर्णयन हेतु जहां आवश्यक हो निम्नांकित प्राथमिकता क्रम होगा.

7.1 क्रमशः ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप, एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय खेलों में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक/भागीदारी.

7.2 व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक.

7.3 व्यक्तिगत खेलों में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक भागीदारी.

7.4 दलीय खेलों में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक/भागीदारी.

7.5 व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रजत पदक, कांस्य पदक.

7.6 दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक, रजत पदक.

7.7 राष्ट्रीय खेलों में व्यक्तिगत खेल, दलीय खेल में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक.

8. **विचार क्षेत्र—**

8.1 पुरस्कार हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी.

8.2 यदि चयन समिति की राय में किसी विशेष वर्ष में किसी पुरस्कार विशेष को पाने योग्य प्रदर्शन नहीं होता है तो उस वर्ष पुरस्कारों के लिए निर्धारित संख्या को शून्य की सीमा तक कम किया जा सकता है.

8.3 किसी एक खेल में कोई पुरस्कार विशेष किसी खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक को उसके जीवनकाल में केवल एक बार दिया जायेगा.

8.4 यह पुरस्कार मरणोपरान्त भी दिया जा सकता है, इस स्थिति में नगद राशि, मानपत्र, अलंकरण फलक सम्मानित खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक के कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जायेगा.

8.5 पुरस्कार हेतु उपलब्धि वर्ष या उसके अगले वर्ष में अगर किसी खिलाड़ी प्रशिक्षक/निर्णायक को उसके खेल से संबंधित मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय संघ द्वारा राज्य या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से निष्कासित किया गया हो या उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो तो उसे संबंधित वर्ष के लिए पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

9. **पुरस्कार अलंकरण तिथि एवं स्थान—**

यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खेल दिवस 29 अगस्त को शासन द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित अलंकरण समारोह में पुरस्कारग्राहियों को प्रदान किए जाएंगे. पुरस्कार अलंकरण तिथि में परिस्थितिवश परिवर्तन किया जा सकता है.

10. आवेदन की प्रक्रिया—

10.1 खेल संघ प्रतिवर्ष के लिए वर्ष की समाप्ति पश्चात् 30 जून तक निर्धारित प्रारूप में खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों के नाम की अनुशंसा संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण में प्रस्तुत करेंगे. निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट अ, ब, स में संलग्न है. अनुशंसा पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि में परिस्थितिवश परिवर्तन किया जा सकता है.

10.2 नियमों के राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह माना जाएगा कि अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए तिथि निश्चित की जाकर सर्वसाधारण को सूचित किया जा चुका है तथापि अंतिम तिथि की सूचना हेतु प्रतिवर्ष बिना उत्तर-दायित्व के समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी तथा संचालनालय में पंजीकृत राज्य खेल संघों को ज्ञापन द्वारा सूचित किया जाएगा.

10.3 संबंधित खेल संघ खिलाड़ियों के लिए घोषित प्रत्येक पुरस्कारों हेतु वरीयता क्रम में अधिकतम तीन नाम तथा प्रशिक्षकों/निर्णायकों के लिए घोषित पुरस्कार हेतु प्रशिक्षक के लिए एक तथा निर्णायक हेतु एक इस प्रकार अधिकतम दो नाम उनके व्यक्तिगत विवरण एवं उपलब्धियों के साथ अग्रेषित कर सकेंगे.

10.4 पुरस्कार हेतु अग्रेषित किए गए खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों के नामों की सूचना, राज्य खेल संघ उनसे संलग्न सभी इकाइयों एवं संबंधित खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों को यथा समय सूचित करेंगे या सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेंगे ताकि उस खेल से संबंधितों को यथा समय उक्त जानकारी प्राप्त हो सके.

10.5 यदि किसी भी स्तर पर यह अनुभव किया जाए कि खेल संघ द्वारा अग्रेषित किए गए नाम के खिलाड़ियों/प्रशिक्षक/निर्णायक से किसी अन्य खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक के पास तुलनात्मक रूप से अधिक उपलब्धियां हैं तो तत्संबंधी विवरण लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में उसका व्यक्तिगत विवरण आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक संचालनालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा. संचालनालय को ऐसे आवेदन विचारार्थ स्वीकार करने का अधिकार होगा.

10.6 यदि कोई अनुशंसा पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जायेगा. इसी प्रकार निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त न होने, अपूर्ण होने की स्थिति में भी उस पर विचार नहीं किया जाएगा.

11. अनुशंसा पत्रों पर विचार की प्रक्रिया—

11.1 निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से पूर्ण, अनुशंसा पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य/राष्ट्रीय खेल संघ से प्रमाणीकरण कराया जाएगा. यदि संबंधित खेल संघ निर्धारित समय तक प्रमाणीकरण नहीं करते हैं तो विभाग स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होगा.

11.2 प्रथम दृष्टि में उपयुक्त प्रतीत होते हुए भी, संबंधित खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए संबंधित की खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार विभाग अपने पास रखता है.

11.3 पुरस्कार हेतु उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिए विभाग एक समिति का गठन करेगा जो पुरस्कार देने के लिए अन्तिम निर्णय लेगी.

11.4 समिति विचारार्थ ग्राह्य सभी आवेदनों पर विचार करके पुरस्कार हेतु व्यक्ति का चयन करेगी. इस समिति का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है.

12. पुरस्कार का विलोपन और रद्द करना—

12.1 यह पुरस्कार उस स्थिति में रद्द किया जा सकता है जिसमें यह पाया जाए कि यह धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है अथवा इसको विलोपित करने या वापिस लेने के लिए पर्याप्त वैध कारण मौजूद हैं.

यह निर्णय उपर्युक्त कंडिका 11.3 में गठित समिति द्वारा किया जायेगा.

12.2 पुरस्कार का विलोपन करने/रद्द करने, वापस लेने की स्थिति में एक साधारण अधिसूचना विभाग द्वारा उचित रूप से निकाली जाएगी और यह पर्याप्त होगी. यद्यपि पुरस्कार के एक भाग के रूप में दी गई नगद राशि, पुरस्कारग्राही या उसके उत्तराधिकारी से न तो वापिस मांगी जाएगी और न ही वापिस करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाएगा.

12.3 यह विलोपन/रद्द, वापसी को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है. शासन का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा.

13. सामान्य नियम—

13.1 पुरस्कार हेतु प्रविष्टि के संबध में किसी प्रकार के पक्ष प्रचार से प्रविष्टि को अयोग्य माना जाएगा.

13.2 ऐसा माना जाएगा कि जिस खिलाड़ी प्रशिक्षक के नाम का अनुशंसा पत्र उसके स्वयं के द्वारा या अन्य किसी स्रोत से पुरस्कार हेतु प्राप्त हुआ है, उस खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक ने इन सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है.

14. संशोधन—

शासन इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन/शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम रहेगा.

15. प्रभावशीलता—

उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील माने जाएंगे तथापि इनके आधार पर राज्य गठन के वर्ष तथा पश्चात् के वर्षों के लिए पुरस्कारों का निर्णय किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

परिशिष्ट-अ

क्रमांक........... दिनांक............

प्रति

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय: खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार हेतु अनुशंसा।

==00==

महोदय,

खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एव निर्णायकों हेतु शासन द्वारा घोषित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार एवं स्व.हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु अनुशंसाएँ प्रस्तुत है।

(1) खेल का नाम ....

(2) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु अनुशंसाएँ वरीयता क्रम में
नाम एवं पूर्ण पता 1. ....
....
2. ....
....
3. ....
....

(3) शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु अनुशंसाएँ वरीयता क्रम में
नाम एवं पूर्ण पता 1. ....
....
2. ....
....
3. ....
....

(4) स्व.हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु अनुशंसाएँ
प्रशिक्षक के लिए नाम एवं पूर्ण पता 1. ....
....
निर्णायक के लिए नाम एवं पूर्ण पता 1. ....
....

(2)

(5) निम्नांकित पृथक से संलग्न करे।

(अ) खिलाड़ियों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रमाण पत्रों सहित (आवेदन पत्र का प्रारुप नियम के परीशिष्ट (ब) में देखें)।

(ब) प्रशिक्षकों/निर्णायकों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रमाण पत्रों सहित (आवेदन पत्र का प्रारुप नियम के परिशिष्ट स में देखें)।

घोषणा पत्र

हम घोषणा करते है कि :-

(1) इस अनुशंसा पत्र के संलग्न प्रस्तुत खिलाड़ियों, प्रशिक्षक एवं निर्णायक के पंजीयन ज्ञापन की जानकारियाँ सत्यापित कर दी गई हैं तथा सत्य है।

(2) खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक को आज दिनांक तक संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता से निष्कासित नहीं किया गया है।

(3) जिनके नाम की अनुशंसा की गई है उन्हें उपरोक्त पुरस्कार पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जिन खिलाड़ियों/प्रशिक्षक/निर्णायक के नाम के अनुशंसा की गई है उन्होंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं इस सब नियमों को स्वीकार कर लिया है।

(5) उपरोक्त विवरण पूर्णत: सत्य एवं प्रमाणित है। उपरोक्त जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिंए मै/हम विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी/रहेंगे।

हस्ताक्षर
सचिव
राज्य खेल संघ
पद मुद्रा

परिशिष्ट-ब

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़

विषय: शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन ज्ञापन

स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

(1) खेल का नाम ....

(2) खिलाड़ी का नाम ....

(3) पिता/पति का नाम ....

(4) पूर्ण डाक पता, दूरभाष क्र. ....

....

(5) जन्म तिथि

अंको में - तिथि .... माह .... वर्ष ....

शब्दों में ....

(कक्षा आठवी या दसवी बोर्ड की अंकसूची संलग्न करे)

(6) शैक्षणिक योग्यता

(अ) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता ....

(ब) कक्षा पहली में प्रवेश लेने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता ....

(स) कक्षा पॉचवी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता ....

(द) कक्षा आठवी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता ....

(इ) कक्षा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता ....

नोट- उपरोक्त कण्डिका ब से स तक की जानकारी शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए पंजीयन से संबंधित है। यदि शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु खिलाड़ी द्वारा सब जूनियर, जूनियर या यूथ वर्ग की उपलब्धियॉ भी उल्लेखित की जा रही हो तो शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु भी उपरोक्त जानकारी दी जाए अन्यथा मात्र शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु उक्त कण्डिका में जानकारी प्रस्तुत करें।

(2)

(7) खिलाड़ी/खिलाड़ियों के पालक (पिता/माता) यदि शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हो तो जानकारी दें -

कार्यालय का नाम पता ....

पद ....

खिलाड़ी से संबंध ....

(8) पुरस्कार वर्ष ....

(जिस वर्ष के पुरस्कार के लिए पंजीयन कराया जा रहा हो)।

(9) पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व का विवरण

प्रतियोगिता का नाम ....

आयोजन तिथि ....

आयोजन स्थल ....

वर्ग सीनियर/जूनियर

प्राप्त स्थान ....

(9) पुरस्कार वर्ग को सम्मिलित करते हुए विगत पाँच वर्षों /तीन वर्ष की राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल उपलब्धियों का विवरण

क्र	वर्ष	प्रतियोगिता का नाम	आयोजन तिथि एवं स्थान	प्राप्त स्थान
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

नोट- 1. कालम 2 वर्ष में वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें (जैसा 2004 -05)।

2. मात्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धियों का ही उल्लेख करें ।

3. शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु अधिकतम पॉच वर्ष एवं शहीद कौशल यादव, पुरस्कार हेतु अधिकतम तीन वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करें।

(3)

(10) छत्तीसगढ़ में विगत पाँच वर्षो से निवास का स्थान एवं अवधि

क्र	वर्ष	निवास स्थान का पूर्ण पता	अवधि
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(11) किसी अन्य राज्य या स्त्रोत से खेल ....
पुरस्कार मिला हो तो उसकी जानकारी ....

(12) खिलाड़ी के खेल उपलब्धियों की अन्य जानकारी वर्ष वार सादे कागज में पृथक से प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ संलग्न किया जाए।

(13) निम्नांकित पृथक से संलग्न करे
(अ) जन्म तिथि सत्यापन हेतु आठवी/दसवी की अंक सूची।
(ब) खेल उपलब्धियों का विवरण एवं उससे संबंधित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति।

घोषणा पत्र

(1) यह कि मैने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है। यदि मुझे यह पुरस्कार प्राप्त होता है तो इसे मै सहर्ष स्वीकार करुँगा/करुँगी।

(2) यह कि उपरोक्त विवरण पूर्णत: सत्य एवं प्रमाणित है। प्रस्तुत जानकारी असत्य पाए जाने की स्थिति में यह पंजीयन ज्ञापन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूँगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर
खिलाड़ी का पूरा नाम....................................
पूर्ण पता/दूरभाष क्रमांक....................................
....

राज्य खेल संघ के सचिव द्वारा अभिप्रमाणित
सचिव
राज्य खेल संघ
पद मुद्रा

परिशिष्ट-स

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़

विषय: स्वर्गीय हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु प्रशिक्षक/निर्णायक का पंजीयन ज्ञापन।

---

(1) खेल का नाम ....

(2) प्रशिक्षक/निर्णायक का नाम ....

(3) पिता/पति का नाम ....

(4) पूर्ण डाक पता, दूरभाष क्र. ....

....

स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

(5) शैक्षणिक योग्यता ....

(6) यदि शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हो तो जानकारी दे

कार्यालय का नाम पता ....

पद ....

(7) प्रशिक्षक निम्नांकित जानकारी दे।

(यह जानकारी मात्र प्रशिक्षको से संबंधित है)

(अ) 1. क्या प्रशिक्षक संबंधित खेल के राज्य संघ का पदाधिकारी है। यदि हाँ तो राज्य संघ में क्या पद है ? ....

2. क्या प्रशिक्षक को किसी अन्य राज्य या स्त्रोत से प्रशिक्षण कार्य हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ है यदि हॉ तो उसका विवरण लिखे ....

(ब) प्रशिक्षक के विगत दस वर्षो के प्रशिक्षण स्थल की जानकारी दें

क्र.	वर्ष	प्रशिक्षण स्थल
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

(2)

क्र.	वर्ष	प्रशिक्षण स्थल
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

(स) व्यक्तिगत खेलों के प्रशिक्षक निम्नांकित जानकारी दे।

अ. क्या प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित राज्य के खिलाड़ियों ने विगत दस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पाँच पदक प्राप्त किए है ? हाँ/नहीं

या

क्या प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित राज्य के कम से कम तीन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रति-निधित्व किया है ? हाँ/नहीं

नोट- उपरोक्त जानकारी में सीनियर एवं जूनियर वर्ग की उपलब्धियाँ सम्मिलित की जाएगी

ब. उपरोक्त कण्डिका (अ) का उत्तर हाँ/नहीं
यदि हाँ है तो क्या उक्त पाँच पदकों में कम से कम एक पदक सीनियर वर्ग का है ?

स. क्या उपरोक्त पाँच पदको की उपलब्धियों में कम से कम तीन पृथक-पृथक खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त की गई है ? हाँ/नहीं

या

क्या उपरोक्त पाँच पदको की उपलब्धियॉ तीन पृथक-पृथक वर्षो में प्राप्त की गई है ? हाँ/नहीं

(द) दलीय खेलों के प्रशिक्षक निम्नांकित जानकारी दे

अ. क्या राज्य के खिलाड़ी ने विगत दस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में संबंधित खेल में पृथक-पृथक पाँच बार पदक जीता है ? हाँ/नहीं

(3)

ब. क्या उपरोक्त पाँच पदको में एक पदक सीनीयर वर्ग में है ? — हाँ/नहीं

स. क्या उपरोक्त पाँच बार पदक जीतने वाले प्रत्येक दल में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या कुल दल संख्या का 40 प्रतिशत है ? — हाँ/नहीं

(ई) क्या प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित कम से कम सात खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है ? — हाँ/नहीं

(9) निर्णायक निम्नांकित जानकारी दें

अ. क्या निर्णायक को ओलम्पिक, राष्ट्र मण्डलीय खेल, एशियाड, विश्व चैम्पियनशिप विश्वकप (उपरोक्त सभी विदेश में आयोजित) में निर्णयन कार्य के लिए आयोजन समिति या अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा निर्णयन कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है ? — हाँ/नहीं

ब. यदि उपरोक्त का उत्तर हाँ तो क्या संबंधित में उसके निर्णयन कार्य किया है ? — हाँ/नहीं

स. क्या निर्णायक को किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निर्णयन कार्य हेतु आयोजन समिति या संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा निर्णयन कार्य हेतु तीन पृथक-पृथक वर्षो में आमंत्रित किया गया है ? — हाँ/नहीं

द. यदि उपरोक्त का उत्तर हाँ तो क्या संबंधित ने उसके निर्णयन कार्य किया है ? — हाँ/नहीं

(4)

(10) निम्नांकित पृथक से संलग्न करें।

अ. प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित पदक प्राप्त खिलाड़ियों की सूची एवं उपलब्धियों का विवरण।

ब. संबंधित खिलाड़ियों के खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

स. संबंधित खिलाड़ियों का घोषणा पत्र जिसमें उल्लेख हो कि उन्हें संबंधित प्रशिक्षक से नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया है

द. निर्णायक का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निर्णयन कार्य का प्रमाण पत्र एवं उक्त प्रतियोगिता में निर्णयन कार्य हेतु नियुक्त किए जाने का आमंत्रण/नियुक्ति पत्र।

घोषणा पत्र

(1) यह कि मैंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है। यदि मुझे यह पुरस्कार प्राप्त होता है तो इसे मै सहर्ष स्वीकार करुँगा/करुँगी।

(2) यह कि उपरोक्त विवरण पूर्णत: सत्य एवं प्रमाणित है। प्रस्तुत जानकारी असत्य पाए जाने की स्थिति में यह पंजीयन ज्ञापन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए में विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूँगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर
प्रशिक्षक/निर्णायक का पूरा नाम................................
पूर्ण पता/दूरभाष क्रमांक.............................
....

राज्य खेल संघ के सचिव द्वारा अभिप्रमाणित
सचिव
राज्य खेल संघ

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 121/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/03-04—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	कायतपाली प.ह.नं. 24	1.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)	लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 120/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/03-04—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	पलसापाली प.ह.नं. 25	2.20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)	लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 119/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/03-04—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	अंकोरी प.ह.नं. 25	1.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)	लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डेय, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 491/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/03/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	मरौदा	0.89	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गरियाबंद.	मरौदा जलाशय के उलट नाली निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 492/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/09/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	आड़पाथर	12.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गरियाबंद.	गिरसुल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डूबान एवं नहर नाली निर्माण हतु.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 493/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/12/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	गिरसुल	5.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गरियाबंद.	गिरसुल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नाली निर्माण.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 494/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/16/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	बहेराबुड़ा	2.411	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गरियाबंद.	कोदोबतर उद्वहन योजना के मुख्य नहर के लिये.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 495/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/10/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	परसुली	1.336	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गरियाबंद.	परसुली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 496/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/15/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	मरौदा	0.172	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गरियाबंद.	मरौदा स्टाप डेम के बांध पार हेतु.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 497/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/11/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	धतौद	1.055	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गरियाबंद.	धतौद जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 20/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	सलिहाभांठा प. ह.नं. 16	65.452	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ मे. मोनेट इस्पात लिमि. हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 5 मई 2004

क्रमांक 136/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में अधिनियम की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	कोट	0.81	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर का निर्माण.

कोरिया, दिनांक 5 मई 2004

क्रमांक 138/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में अधिनियम की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	नगर	0.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर का निर्माण.

कोरिया, दिनांक 5 मई 2004

क्रमांक 140/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में अधिनियम की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	रटगा	1.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर का निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1078/वा-1/भू-अर्जन/08/अ/82-01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-बाड़ीगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
203/1	0.30
198, 199/2, 199/3, 199/4 199/5, 200	0.16
202	0.25
203/2	0.24
योग	0.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आड़पाथर जलाशय योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरिया-बंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1077/वा-1/भू-अर्जन/09/अ/82-01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-बाड़ीगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
29/10	0.07
30/3	0.27
30/2	0.17
137	0.38
136/2	0.10
128/1, 2, 3 135/1, 2, 3	0.04
149/2	0.12
147/2 148	0.13
147/3	0.13
149/1	0.10
297/1	0.10
297/2	0.09
155/3	0.08
152	0.10
296/3	0.12
149/1, 150	0.10
योग	2.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आड़पाथर जलाशय के अंतर्गत नहर, निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरिया-बंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1079/वा-1/भू-अर्जन/06/अ/82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम-भरुवामुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
40	0.01
41	0.15
187	0.12
42	0.40
147	0.03
47	0.09
48	0.03
173	0.04
172	0.01
184	0.04
177	0.20
179	0.09
185	0.04
197	0.68
192	0.04
198	0.40
199	0.06
144	0.02
योग	2.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भरुवामुड़ा जलाशय के उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1080/वा-1/भू-अर्जन/07/अ/82-01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-देवभोग

(ग) नगर/ग्राम-देवभोग

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.11 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
42	0.04
43	0.08
23/1	0.35
23/2	0.18
23/3	0.28
24	0.22
25	0.25
38/3	0.07
38/01	0.07
38/2	0.02
39/2	0.54
39/4	0.07
62/2, 64/2, 64/3, 64/5, 65	0.12
63	0.02
55	0.08
56/2	0.28
56/3, 58/4	0.05
56/4, 58/5	0.28
58/2	0.11
योग	3.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आड़पाथर जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1081/वा-1/भू-अर्जन/02/अ/82-98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम-गोंदला बहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
534	0.22
533	0.45
532	0.22
528	0.22
531	0.22
527	0.22
529	0.22
491	0.35
490	0.25
489	0.28
91	0.60
90	0.75
195	0.25
196	0.25
190	0.10
188	0.50
योग 16	5.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-भूरा जलाशय योजना के दायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरिया-बंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1257/वा-1/भू-अर्जन/03/अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम-भरुवामुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.73 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
219/2	0.03
214/1, 215/1	0.07
208/1, 210/1	0.42
223/1, 223/2	0.03
224/1	0.18
योग	0.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-आड़पाथर जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरिया-बंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1082/वा-1/भू-अर्जन/07/अ/82-98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम-भैरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
29	0.07
योग	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-भैरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

क्रमांक 1258/वा-1/भू-अर्जन/04/अ/82-01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम-फूलझर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
102/2	0.07
102/3	0.40
82/9, 100, 104/2	2.21
104/3	0.40
82/19	0.25
97	2.20
96	0.29
82/7, 82/13, 92	0.10
82/21	0.44
98	4.95
103	2.00
82/12	0.05
82/50	2.66
95/3	0.03
योग	16.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-शलप जलाशय योजना के डूबान के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

क्रमांक 1259/वा-1/भू-अर्जन/05/अ/82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम-आड़पाथर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.35 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
179	0.40

(1)	(2)
180/1, 181/2, 182/1, 184/2, 185/2, 198/2, 199/2, 201/1, 203/2	0.85
181/4, 182/2	0.10
योग	1.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आड़पाथर जलाशय योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2004

क्रमांक 1 (ग)/2 [illegible](1)/2004/7197-7211.—मैं, [illegible], श्रम आयुक्त, [illegible] 473/7258/16 दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान व स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारिणी के स्तंभ क्रमांक 2 में दर्शाये गये व्यक्तियों को उसी सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूं :—

अ. क्र. (1)	निरीक्षक का नाम (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1.	श्री एल. के. शर्मा	छत्तीसगढ़ राज्य में अपने पदस्थापना के स्थान पर सभी स्थानीय क्षेत्र एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2.	श्री एस. के. विलियम	
3.	श्री रामेश्वरसिंह कंवर	
4.	श्री भूषणलाल ठाकुर	
5.	श्रीमति उज्जवल भोई	

राबर्ट हांडोला
श्रमायुक्त, [illegible]